कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1920079 दिनांक 10-01-2020

पत्र संख्या/ /व्यापारी पंजीयन/ज्वाइंट कमिश्नर (GST)/2019–20/ 830 वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ: दिनाँक: 10 जनवरी, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर ।

विषय–जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि हेतु विशेष अभियान के सम्बन्ध में।

दिनाँक 12.11.2019 को आयोजित विभागीय एडीशनल कमिश्नर्स तथा दिनाँक 20.11.2019 को आयोजित ज्वाइंट कमिश्नर्स की समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में वृद्धि हेतु दिए गए निर्देशों तथा तत्संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों के कम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–व्यापारी पंजीयन/ज्वाइंट कमिश्नर (जी0एस0टी0)/2019–20/732/ वाणिज्य कर दिनाँक 22 नवम्बर 2019 द्वारा विशेष अभियान के संबंध में विस्तृत कार्य योजना प्रसारित की गयी थी । **दिनाँक 01 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय एडीशनल कमिश्नर्स की समीक्षा बैठक के क्रम में निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–**

1. मुख्यालय के परिपत्र संख्या– व्यापारी पंजीयन/ज्वाइंट कमिश्नर (GST)/2019–20/732 वाणिज्य कर, दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के बिन्दु संख्या– 2 पर अंकित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विभागीय टीमों द्वारा जिन नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के वार्ड/ 2 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत/प्रमुख बाजार में गणना का कार्य प्रारम्भ किया गया है उसे क्षेत्रफल एवं व्यापारियों की संख्या दोनों मानकों पर संतृप्त किया जाएगा। यह कार्य 20.01.2020 तक पूर्ण किया जाएगा।
2. प्रत्येक जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा जोन में कार्यरत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 तथा अपील, ज्वाइण्ट कमिश्नर कार्यपालक, वि0अनु0शा0, टैक्स ऑडिट तथा कार्पोरेट सर्किल को जोन के अधिक्षेत्र में आने वाली प्रमुख नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों, प्रमुख बाजारों तथा दो हजार से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायतों को सत्यापन हेतु आवंटित किया जाएगा तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन हेतु भी उक्त में से प्रमुख स्थानीय निकायों का चयन किया जाएगा।
3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा जोन की विभागीय टीमों द्वारा संकलित पंजीकृत/अपंजीकृत डाटा में से 1% का सत्यापन स्वयं किया जाएगा। प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 तथा अपील द्वारा जोन की विभागीय टीमों द्वारा संकलित पंजीकृत/अपंजीकृत डाटा में से 2% का सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक ज्वाइण्ट कमिश्नर कार्यपालक, वि0अनु0शा0, कार्पोरेट सर्किल एवं टैक्स आडिट द्वारा जोन की विभागीय टीमों द्वारा संकलित पंजीकृत/अपंजीकृत डाटा में से 5% का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन कार्य उन स्थानीय निकायों से प्रारम्भ किया जाएगा जहाँ विभागीय टीमों द्वारा बिन्दु संख्या– 1 पर अंकित मानकों के अनुरूप पंजीकृत/अपंजीकृत गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सत्यापन का कार्य पंजीकृत/अपंजीकृत डाटा संग्रहण एवं मॉड्यूल में फीडिंग के समानान्तर किया जाएगा।

4. कमांक 2/3 पर अंकित भ्रमण कार्यक्रम जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा अपनी देखरेख में तैयार कराया जाएगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि ज्वाइंट कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 का भ्रमण कार्यक्रम आपस में ओवरलैप न हो जिससे अधिक से अधिक स्थानीय निकायों में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों का भ्रमण एवं सत्यापन सुनिश्चित हो सके। जोन के वरिष्ठ अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम प्रारूप 5 में ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण के दौरान सत्यापित डाटा प्रारूप 6 में फीड किया जाएगा।
5. परिपत्र संख्या–732 दिनॉक 22 नवम्बर 2019 से निर्धारित प्रारूप 3 एवं प्रारूप 4 की फीडिंग का कार्य प्रत्येक दशा में दिनॉक 15 जनवरी, 2020 तक पूर्ण कर वांछित डाटा संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रत्येक जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 द्वारा अपने अधीनस्थ सभी ज्वाइण्ट कमिश्नर वि0अनु0शा0 से इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 15.01.2020 को प्राप्त किया जाएगा कि उनके अधीनस्थ वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा मुख्यालय के परिपत्र संख्या–732 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के बिन्दु संख्या–3.1, 3.2 तथा 3.3 से निर्देशित कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कर वांछित डाटा संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर कार्यपालक को उपलब्ध करा दिया गया है। **एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 द्वारा अपने जोन का समेकित प्रमाण पत्र प्रारूप– 10 दिनांक 15.01.2020 को ऑनलाईन अपलोड किया जाए।**
6. परिपत्र संख्या–732 से निर्देशित पंजीकृत/अपंजीकृत गणना तथा प्रारूप 2/2ए एवं प्रारूप 1 में फीडिंग का कार्य दिनॉक 20.01.2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या–3 में अंकित सत्यापन का कार्य दिनॉक 23.01.2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। कमांक –3 पर अंकित सत्यापन कार्य की निर्धारित प्रारूप 6 में फीडिंग का कार्य दिनॉक 25.01.2020 तक पूर्ण कर लिया जाए। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 एवं परिपत्र संख्या– 732 से तत्संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में पंजीकृत/अपंजीकृत की गणना पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा उनके खण्ड के अधिक्षेत्र में आने वाले प्रत्येक स्थानीय निकाय के क्षेत्रफल में आने वाले सभी व्यपारियों की गणना पूर्ण कर लिये जाने विषयक प्रमाण पत्र प्रारूप–8 में संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर कार्यपालक को दिनांक 24.01.2020 को उपलब्ध कराया जाएगा। **दिनांक 25.01.2020 को प्रत्येक ज्वाइण्ट कमिश्नर कार्यपालक द्वारा उनके संभाग में गणना पूर्ण होने विषयक प्रमाण पत्र प्रारूप–9 संबंधित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को उपलब्ध कराया जाएगा।**
7. मुख्यालय के परिपत्र संख्या– 732 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के बिन्दु संख्या– 2.6 से विभाग के प्रत्येक लोकेशन पर स्थित कार्यालय में पंजीयन हेल्प डेस्क तत्काल प्रभाव से संचालित करने के निर्देश दिये गये थे। हेल्प डेस्क/पंजीयन सुविधा केन्द्र की व्यवस्था निरंतर संचालित रहेगी। पंजीयन सुविधा केन्द्र हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा डेस्कटॉपइस, प्रिंटर, स्कैनर, निर्बाध इंटरनेट कनेक्टविटी कार्मिकों की रोटेशनल ड्यूटी तथा पंजीयन सुविधा केन्द्र में मिज्ञ अधिकारी की उपलब्धता संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। हेल्प डेस्क/पंजीयन सुविधा केन्द्रों में पंजीयन एवं रिटर्न फाईलिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी तथा पंजीयन प्रार्थना पत्र एवं रिटर्न फाईलिंग में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
8. विशेष अभियान के दौरान पंजीयन वृद्धि हेतु पंजीयन जागरूकता सेमिनार्स, गोष्ठियों के आयोजन एवं नये पंजीयन जारी किये जाने के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–732 दिनॉक 22 नवम्बर 2019 से प्रसारित अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। विशेष पंजीयन अभियान दिनांक 31 मार्च 2020 तक चलाया जाएगा।

9. पंजीयन, वार्षिक राजस्व लक्ष्य प्राप्ति, प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही, निर्धारित कार्यात्मक लक्ष्य के संबंध में बैठक दिनांक 12.11.2019, दिनांक 20.11.2019 तथा दिनांक 01.01.2020 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. विशेष पंजीयन अभियान का स्थानीय स्तर पर सम्यक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

कृपया तदनुरूप सभी स्टेक होल्डर्स एवं अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 01 जनवरी, 2020 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,

परिपत्र संख्या– 830 दिनांक 10.01.2020 का संलग्नक

प्रारूप–8 खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

मैं..... डिप्टी कमिश्नर खण्ड–..... वाणिज्य कर यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे खण्ड के अधिक्षेत्र में कुल ..... नगर पंचायत/.....नगर पालिका परिषद/.....नगर निगम के वार्ड/..... 2 हजार से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायत हैं। इन सभी में पंजीकृत/अपंजीकृत व्यापारियों की गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा खण्ड के अधक्षेत्र में आने वाले उक्त सभी स्थानीय निकायों के पूरे क्षेत्रफल में भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है।

प्रारूप–9 ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र।

मेरे संभाग के अधिक्षेत्र में कुल ..... खण्ड कार्यालय हैं कुल ..... नगर पंचायत/.....नगर पालिका परिषद/.....नगर निगम के वार्ड/..... 2 हजार से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायत हैं। इन सभी में पंजीकृत/अपंजीकृत व्यापारियों की गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा खण्ड के अधक्षेत्र में आने वाले उक्त सभी स्थानीय निकायों के पूरे क्षेत्रफल में भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है।

प्रारूप–10 एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वि0अनु0शा0 द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र।

जोन ..... में कुल ..... वि0अनु0शा0 इकाईयॉ कार्यरत हैं जिनके द्वारा परिपत्र संख्या– 732 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के बिन्दु संख्या– 3.1, 3.2 तथा 3.3 से निर्देशित अन्य राजकीय विभागों से डाटा संकलन , फीडिंग, डाटा वर्गीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा वांछित डाटा संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर कार्यपालक को उपलब्ध करा दिया गया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग के अपर एडीशनल कमिश्नर व एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) की समीक्षा बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2020 का कार्यवृत्त

बैठक की अध्यक्षता मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी जिसमें मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित रहे।

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् है–

I. श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स।
II. श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
III. श्री सूर्यमणि लालचन्द, प्रभारी कमिश्नर, वाणिज्य कर।
IV. श्रीमती सुधा वर्मा, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
V. वाणिज्य कर के सभी 20 जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, (वि0अनु0शा0) व आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी

समीक्षा बैठक मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

(2) अपर मुख्य सचिव, राज्य कर द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के संबध में किये जा रहे रिटर्न दाखिला व रिटर्न स्क्रूटनी के प्रयासों, डीलर की 360° प्रोफाइलिंग के माडयूल से अवगत कराया गया तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा गत बैठक में अच्छे कार्यों को जीएसटी काउंसिल में रखे जाने के निर्देश के अनुपालन में दि0 18.12.2019 की बैठक में प्रदेश के ओर से अपर मुख्य सचिव द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण से भी अवगत कराते हुए बताया गया कि काउंसिल में प्रदेश के कार्यों की सराहना की गयी तथा प्रदेश में अपनायी जा रही प्रक्रिया के आधार पर देश में एक समान व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। बताया गया की मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को एडहॉक आईजीएसटी के एवज में कटौती न किये जाने व प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र से अनुरोध किये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त हो गयी तथा नवम्बर माह में कटौती भी नहीं की गयी।

माह दिसम्बर तक जीएसटी के लक्ष्य का 101 प्रति0 राजस्व प्राप्त कर लिया गया है, 13 प्रति0 की वृद्धि प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर के आईजीएसटी राजस्व में रू0 314.50 करोड़ की कटौती पूर्ववर्ती वर्षों में दिये गये एडहॉक आईजीएसटी के एवज में पुनः प्रारम्भ कर दी गयी है, इससे राजस्व वृद्धि व लक्ष्य पूर्ति कम आकलित हो रही है। राज्य क्षेत्राधिकार के व्यापारियों का 98 प्रति0 तक रिटर्न दाखिल कराए जा रहे हैं। फेक डीलर को हटाने के अभियान में विगत 02 माह में 35603 पंजीयन निरस्त हुए हैं। नॉन फाइलर्स के विरूद्ध कार्यवाही कराकर विगत माह में रू0 214.97 करोड़ का राजस्व जमा कराया गया है। विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में पंजीयन वृद्धि हेतु अभियान चलाए जाने के अन्तर्गत प्रत्येक टाउन एरिया स्तर तक के नगरीय निकाय व 2 हजार से अधिक आबादी की ग्राम पंचायतों तक विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, 8.51 लाख व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भ्रमण करके 40592 पंजीयन योग्य व्यापारी चिन्हित किये गये हैं। अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत व अन्तर्राज्यीय व्यापार के निजी प्रतिष्ठानों के व्यापारिक सम्बन्धहारों के डाटा प्राप्त कर अपंजीकृत की सूची तैयार की गयी है। विशेष पंजीयन अभियान में कुल 555 टीमें बनाकर 865 कैम्प/मेगा सेमिनार व गोष्ठियां आयोजित करायी गयी हैं। 2.58 लाख अपंजीकृत व्यापारियों से सम्पर्क किया जा चुका है।

(3) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये–

3.1 राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी की परिधि में लाया जाना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता से वसूला गया जीएसटी प्रत्येक दशा में राजकीय कोष में जमा होना सुनिश्चित कराया जाए। 40 लाख रू0 वार्षिक टर्नओवर की सीमा से अधिक के व्यापारियों को चिन्हित करते हुए

रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराया जाए तथा रिटर्न फाइलिंग का प्रशिक्षण देते हुए उनसे समयबद्धता के साथ रिटर्न दाखिल भी कराया जाए।

3.2 जोन में व्यापारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया जाए। जिन व्यापारियों का टर्नओवर 40 लाख रू0 की सीमा से कम है, उन्हें भी बताया जाए कि जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन लेने पर व्यापारी को सुरक्षा कवच मिलता है, जिसमें रू0 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, इसके लिए व्यापारी को कोई भी धनराशि नहीं देनी पड़ती है। शासन में विचारित प्रधानमंत्री व्यापारी पेंशन योजना का लाभ लिए जाने हेतु जीएसटी में पंजीयन रहने से उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी।

3.3 जीएसटी पंजीयन के संबंध में व्यापारियों में फैली भ्रान्तियों को दूर किया जाए। इसके लिए सूचना विभाग के माध्यम से सूचना बिभाग की जिला स्तर पर उपलब्ध वैन से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किये जाने हेतु सूचना विभाग से सम्पर्क करके उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। एलईडी वैन, होर्डिंग्स, पैम्फलेट, पुस्तिकाओं इत्यादि के माध्यम से जीएसटी के संबध में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाए। मा0 प्रधानमंत्री जी एवं उनके द्वारा स्वयं जीएसटी पर दिये गये सम्बोधन को एलईडी पर सूचना वैन के माध्यम से तहसील, ब्लाक, ग्राम पंचायत स्तर तक सक्रिय छोटे से छोटे व्यापारियों तक पहुंचाया जाए। जीएसटी के लाभ से अवगत कराने हेतु विभाग द्वारा एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड व व्यापार मण्डलों की ओर से होर्डिंग्स लगवायी जाए।

3.4 व्यापार मण्डल के व्यापारियों से संवाद स्थापित करते हुए उनमें जीएसटी के प्रति विश्वास पैदा किया जाए,. इसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों की भी मदद ली जाए। जीएसटी में पंजीयन तथा रिटन फाइलिंग के संबंध में सरल भाषा में पठनीय सामग्री और प्रस्तुतीकरण तैयार कर व्यापारियों में जागरूकता उत्पन्न की जाए।

3.5 प्रत्येक वाणिज्य कर खण्ड में पंजीयन अभियान हेतु एक वाहन की व्यवस्था की जाए।

3.6 व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी व सदस्यो द्वारा भी पंजीयन अधिक से अधिक कराने में रूचि ली जाए तथा अगले माहों में व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा अपंजीकृत को पंजीयन दिलाने के कार्य में सहयोग प्रदान किया जाय। प्रयास किया जाए कि प्रदेश में व्यापारिक संव्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हो। व्यापारी से व्यापारी को व्यापार करने वाले बड़े व्यापारी के द्वारा जीएसटी में अपंजीकृत व्यापारियों को बिक्री न किये जाने पर विचार करें, ताकि प्रदेश को देय जीएसटी राजस्व प्राप्त हो सके।

3.7 हाल ही में कई नगर निगमों, नगर पंचायतों का विस्तार किया गया है, इन क्षेत्रों में सक्रिय व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के दायरे में लाया जाए।

3.8 दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रदेश में जीएसटी में पंजीयन 25 लाख तक लाने का लक्ष्य दिया गया है। आगामी 3 माह हेतु प्रत्येक वाणिज्य कर जोन को पंजीयन के लक्ष्य निम्नवत दिये गये है–

जोन	लक्ष्य	जोन	लक्ष्य	जोन	लक्ष्य	जोन	लक्ष्य
आगरा	35000	गौतमबुद्धनगर	25000	कानपुर प्रथम	30000	मुरादाबाद	30000
अलीगढ	35000	गाजियाबाद प्रथम	30000	कानपुर द्वितीय	35000	प्रयागराज	30000
अयोध्या	30000	गाजियाबाद द्वितीय	30000	लखनऊ प्रथम	35000	सहारनपुर	30000
बरेली	40000	गोरखपुर	40000	लखनऊ द्वितीय	35000	वाराणसी प्रथम	25000
इटावा	25000	झांसी	25000	मेरठ	35000	वाराणसी द्वितीय	30000

3.9 अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं सभी अपर आयुक्तों के द्वारा फील्ड विजिट की जाए।

3.10 विभाग के कार्यक्षेत्रों को Administrative Units के साथ Co-terminous करने की दिशा में कार्य किया जाए।

3.11 ACS प्रत्येक Zone स्तर पर एवं Commissioner Trade Tax उसके नीचे स्तर पर Field में जाकर समीक्षा करें।

3.12 Registration के साथ Return Filing के लिए भी कैम्प लगाकर प्रशिक्षण दिया जाए।

3.13 Branded कम्पनियों को हिदायत दी जाए कि वे केवल GST Registered कम्पनियों के साथ ही सम्पर्क करें।

3.14 मार्च, 2020 के अंत तक 25 lac Registration के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

3.15 दिनांक 31 मार्च, 2020 के उपरान्त पुनः समीक्षा की जाएगी और आवश्यक होने पर उत्तरदायित्व नियत की जाएगी।

उपस्थित सभी अधिकारियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।